न्यायालय अनन्य विशेष न्यायाधीश (उत्पाद), झंझारपुर

अग्रिम जमानत संख्या–291/2026

(खुटौना थाना कांड संख्या–139/2025; अन्तर्गत धारा: 126(2), 115(2), 190, 191(2), 191(3), 109(1), 132, 121(1), 121(2), 352, 351(2), 274, 275 बी0एन0एस0 एवं 30(ए) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम)

बिहार सरकार बनाम रौशन कुमार

दिनांक	आदेश न्यायालय के हस्ताक्षर सहित	अभियुक्ति
10.04.2026	आवेदक अभियुक्त **रौशन कुमार,** उम्र–26 वर्ष, पिता–राज कुमार प्रसाद उर्फ राज कुमार साह, ग्राम–खुटौना, थाना–खुटौना, जिला–मधुबनी की ओर से खुटौना थाना कांड संख्या–139/2025 (अन्तर्गत धारा: 126(2), 115(2), 190, 191(2), 191(3), 109(1), 132, 121(1), 121(2), 352, 351(2), 274, 275 बी0एन0एस0 एवं 30(ए) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम) मे गिरफ्तारी की आशंका के आधार पर दाखिल अग्रिम जमानत आवदेन को उनके विद्वान अधिवक्ता श्री परशुराम मिश्र एवं नवनीत कुमार झा द्वारा प्रचालित किया गया जिसकी प्रति विद्वान विशेष लोक अभियोजक अरविंद प्रसाद वर्मा को पूर्व मे ही प्रदान की गयी है। उक्त जमानत आवेदन पर उभय पक्षो के विद्वान अधिवक्ता को सुना। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता अग्रिम जमानत आवेदन संचालित करते हुए अभिकथित करते है कि आवेदक अभियुक्त निर्दोष है एवं उनके द्वारा कोई आपराध नही किया गया है। आवेदक के ओर से पूर्व मे न तो विशेष न्यायालय (उत्पाद) के समक्ष अथवा माननीय उच्च न्यायालय पटना के समक्ष कोई जमानत याचिका न तो लंबित है और न ही दाखिल किया गया है। आवेदक बालिग है एवं उनका इस कांड के अलावे कोई अन्य आपराधिक इतिहास नही है। आवेदक को इस वाद में शंका के आधार पर तथा ग्रामीण राजनीति एवं द्वेष के कारण झूठा फंसाया गया है। आवेदक पर लगाया गया आरोप पूरी तरह से झूठा और मनगढ़ंत है। आवेदक के पास से किसी प्रकार की कोई बरामगदी नही की गयी है। आवेदक कानून का पालन करने वाला न्यायप्रिय नागरिक है तथा उसके फरार होने तथा साक्ष्य के साथ छेड़–छाड़ करने की कोई संभावन नही है। आवेदक न्यायालय के सभी निर्देशों का अनुपालन करने को तैयार है तथा अच्छे से अच्छा जमानतदार देने को तैयार है। अतः आवेदक के विद्वान अधिवक्ता आवेदक अभियुक्त को अग्रिम जमानत का लाभ प्रदान करने किये जाने की प्रार्थना करते हैं। विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत का घोर विरोध किया गया तथा अभिकथित किया गया कि आवेदक प्राथमिकी नामजद अभियुक्त है तथा उनके उपर शराब पीकर अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर पुलिस गाड़ी पर हमला करने, पुलिस बल के साथ गाली गलौज, मारपीट करने एवं धमकी देने तथा जान मारने की नियत से सूचक पु0अ0नि0 आलोक कुमार का गला दबाने एवं गर्दन मडोड़ने एवं सरकारी कार्य मे बाधा उत्पन्न करने का आरोप है तथा धटनास्थल से 930 मि0ली0 नेपाली विदेशी शराब के बरामदगी का अभियोग है। वाद अनुसंधानरत है तथा बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 76(2) के अधीन अग्रिम जमानत अवेदन का वर्जना किया गया है। अतः याचना करते है कि याचिकाकर्ता के ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन पोषनीय नही है। उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख तथा अभिलेख पर उपलब्ध कांड दैनिकी का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद बी0एन0एस0 की धारा– 126(2), 115(2), 190, 191(2), 191(3), 109(1), 132, 121(1), 121(2), 352, 351(2), 274, 275 एवं बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा–30 (ए) के अंतर्गत दर्ज किया गया है। बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 76(2) के अधीन अग्रिम जमानत आवेदन का वर्जन किया गया है, परन्तु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रामविनय यादव बनाम बिहार राज्य मे यह निर्धारित किया गया है कि बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 76(2) अन्तर्गत अग्रिम जमानत आवेदन पोषणीय नही है, फिर भी यदि मामले मे अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्टया अपराध नही बनता है तब आवेदन पोषणीय माना जा सकता है। प्राथमिकी एवं कांड दैनिकी के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि आवेदक प्राथमिकी नामजद अभियुक्त है तथा दिनांक 01.09.2025 को समय करीब 01:25 बजे आवेदक अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर खुटौना जयनगर रोड स्थित जय प्रकाश नारायण भारती के नवनिर्मित मकान के पास शराब पी रहे थे परन्तु	
लगातार...		

Nayan Kumar

उपस्थित–श्री नयन कुमार
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–IV–सह–अनन्य वि0 न्या0 उ0, झंझारपुर

न्यायालय अनन्य विशेष न्यायाधीश (उत्पाद), झंझारपुर

अग्रिम जमानत संख्या–291/2026

(खुटौना थाना कांड संख्या–139/2025; अन्तर्गत धारा: 126(2), 115(2), 190, 191(2), 191(3), 109(1), 132, 121(1), 121(2), 352, 351(2), 274, 275 बी0एन0एस0 एवं 30(ए) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम)

बिहार सरकार बनाम रौशन कुमार

10.04.2026

अचानक खुटौना थाना की पुलिस वहां पहुंच गयी तो सभी लोग शराब वही फेंक कर पुलिस बल के साथ गाली गलोज मारपीट एवं धक्का मुक्की करने लगे एवं पुलिस गाड़ी पर हमला कर छतिगरत्र कर दिये तथा हथियार छिनने का भी प्रयास किये तथा सूचक पु0अ0नि0 आलोक कुमार को अन्य सह अभियुक्तों के साथ मिलकर जान मारने की नियत से गला दबाने एवं गर्दन मडोडने एवं सरकारी कार्य मे बाधा उत्पन्न करने का प्रयास किये। पुलिस बल द्वारा घटनास्थल से 930 मि0ली0 नेपाली विदेशी शराब भी बरामद किया गया है। कांड दैनिकी के कंडिका 48 (शराब जांच प्रतिवेदन) के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि जप्त पदार्थ शराब है। कांड दैनिकी के कंडिका 03, 04, 12, 27, 28, 29, 44, 45, 83, 110, 111, 112, 113, 120, 135 एवं 193 के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि सभी साक्षियों द्वारा घटना का पूर्णरूपेण समर्थन किया गया है तथा घटनास्थल से शराब बरामदगी की पुष्टि की गयी है, जिससे प्रथम दृष्टया आवदेक के इस घटना मे संलिप्तता परिलक्षित होती है। इस कांड मे संलिप्त सहअभियुक्तों का अग्रिम जमानत पूर्व मे इस न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है।

कांड दैनिकी के कंडिका 79 एवं 104 के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि आवेदक का इस कांड के अलावे कोई अन्य अपराधिक इतिहास नहीं है परंतु उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा वाद की परिस्थितियों, आपराध की गंभीरता एवं विशेषतया वाद के वर्तमान प्रक्रम एवं बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 76(2) को ध्यान मे रखते हुए, आवेदक **रौशन कुमार** की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन पोषणीय नही होने के कारण **खारिज** किया जाता है।

लेखापित

Sd/-

(श्री नयन कुमार)

अनन्य विशेष न्यायाधीश, उत्पाद, झंझारपुर

मेमो नं0 158/26 **दिनांक** 15.04.26

आदेश की प्रति न्यायालय– विशेष न्यायाधीश, उत्पाद अधिनियम, झंझारपुर के कार्यालय को खुटौना थाना कांड संख्या–139/2025 के मूल अभिलेख पर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजे।

Nayankumar. 10.04.26

(श्री नयन कुमार)

अनन्य विशेष न्यायाधीश, उत्पाद, झंझारपुर

उपस्थित–श्री नयन कुमार

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–IV–सह–अनन्य वि० न्या० उ०, झंझारपुर